न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	26/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00221
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	26.11.2020
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	22.07.2021

उनवान

1.नानूराम पि.श्रीराम कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2.महादेव स्थान देह जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर जिला अजमेर —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थी	(1) श्री दूधाराम कुमावत
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया है जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर प्रार्थी के पक्ष में अवश्य ही डिक्री होगा।

(2) प्रार्थी की कब्जे काश्त व हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसका साबिक रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 के अनुसार विवरण निम्नानुसार है - –

आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
११६१	२॥)	११६९	)२
११६२	१॥)२	११७०	)१
११६३	)१	११७१	)१
११६४	५)	११७२	२)४
११६५	१।)	११७३	।)४
११६६	)२	११७४	२॥)३
११६७	१)४	११७५	)२
११६८	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल किता 16		कुल [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:58 IST
Reason: SelfAttested

(3) उक्त साबिक कृषि आराजियात के नये भूप्रबन्ध [illegible] कायम किये गये है -

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	[illegible]	रकबा
आसीन्द	4463	1.41	4472	0.29
	4464	0.55	4473	0.37
	4465	0.17	4474	0.62
	4466	0.55	4475	0.18

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

	4467	0.54	4476	0.67
	4468	0.61	4477	0.04
	4469	0.32	4478	0.76
	4470	0.21	4479	0.19
	4471	0.11	4480	0.19
कुल किता 18		कुल रकबा 7.78		

(4) उक्त साबिक खसरा नम्बर किता 16 रकबा २०।)४ जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 में महादेवजी स्थान देह के नाम भूमि अधिकारी के रूप में दर्ज है जिसे जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात उक्त भूमि पूजनार्थ माफी को समाप्त कर दिनांक 01.07.1963 को खालसा करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया जिसमें उक्त भूमि सरकार में निहित हो चुकी है। साबिक जमाबन्दी संवत 2018-2021 के कॉलम नम्बर 4 में श्री महादेव जी स्थानदेह लिखा हुआ है जो कि भूमि अधिकारी के रूप में लिखा हुआ है जिन्हे लगान व भोग लेने का अधिकार था जागीर उन्मूलन अर्थात जागीरदारी प्रथा समाप्त होने को पश्चात उक्त कॉलम नं. 4 में राज्य सरकार का नाम अंकित हो गया जो खातेदारों से लगान वसूल करती है। कॉलम नम्बर 5 कृषक यानि काश्तकार के रूप में हीरानाथ गुरू मोतीनाथ का नाम दर्ज था जो कि एक खातेदार पट्टेदार व खड़मदार के रूप में दर्ज था जिसमें उन्हे इस भूमि को अन्तरित करने का अधिकार था। इसलिये उक्त साबिक नम्बरान कुल किता 16 कुल रकबा २०।)४ को हीरानाथ गुरू मोतीनाथ नें बापी पट्टा संवत 2018 बैशाख सुद 3 मंगलवार को श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत नि.प्रतापपुरा के हक में निम्न शर्तों के तहत बापी पट्टा निम्न शर्तों पर निष्पादन कर दिया –

(क) कुआ नं. 1169 जिससे यह जमीन पीवल होती है उसकी लागन 1800 रूपया श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत से पट्टेदार श्री हीरानाथ गुरू मोतीनाथ ने वसूल किये।

(ख)जमीन का रेत निकाल कर पीवल होने पर उक्त भूमि बापी हो जायेगी।

(ग) भूमि का हासल सेटलमेन्ट को 8 रूपया बीघा का है परन्तु जमीन नाकाबिल काश्त है। काबिल काश्त बनाने के लिये खर्चा व मेहनत लगेगी व जमीन की तरक्की होकर उपजाऊ होगी इसलिये हांसल (लगान) माफ किया व संवत 2019,2020,2021,2022,2023 के वर्षों का हांसल (लगान) 158 रूपये है जिसकी अदायगी करनी होगी। उपरोक्त शर्तों की पालना करने पर जमीन बापी होगी। धड़ो देना पड़ेगा अर्थात भाग देना पड़ेगा उक्त शर्तों के अन्दर उक्त भूमि को पट्टेदार द्वारा बापी पट्टे से प्रार्थी में पूर्व जो भी नाम पर कर कब्जे में सिपुर्दगी की।

(5) प्रार्थी के पूर्वज श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत ने बापी पट्टे में अंकित शर्तों की पूर्ण रूप से पालना कर उक्त भूमि को काबिल काश्त व उपजाऊ बनाने के लिये काफी श्रम शक्ति व पूंजी निवेश कर उपजाऊ बनाया है व लगान की राशि 150 रूपये की भी अदायगी कर दी है व महादेवजी स्थान के लिये प्रतिवर्ष लगान के रूप में भोग लगान के रूप में प्रति फसल संवत 2018 से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त पूजनार्थ माफी के खालसा में दर्ज करने का आदेश दिनांक 01.07.1963 को हो चुका था उसके पश्चात रोटेशन जमाबन्दी में खालसा का इन्द्राज नहीं कर पुनः महादेवजी स्थानदेह व पुजारी हीरानाथ गुरू मोतीनाथ का नाम इन्द्राज कर एक लिपिकीय त्रुटी की है जबकि हीरानाथ गुरू मोतीनाथ ने अपने जीवनकाल मे कोई उजर एतराज नहीं किया है। उक्त भूमि में हीरानाथ गुरू मोतीना[illegible]र्ज था किन्तु उक्त भूमि काफी वर्षों से प्रार्थी के पूर्वज श्रीराम पि.गिरधारी के कब्जे काश्त में थी [illegible] आसन में देते थे संवत 2000 में खारी नदी में बाढ आने से उक्त भूमि बाढ से प्रभावित [illegible] ऊंची नीची होकर उसमे रेत भर गया व भूमि पुनः नाकाबिल काश्त हो गयी। उक्त भूमि श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत की बापी होकर खातेदारी भी हो गयी है उनकी मृत्यु के पश्चात विरासतीय अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हो गये है। क्यों कि प्रार्थी विधिवत वारिस होकर उक्त भूमि पर संवत 2018 से उपयोग उपभोग व काश्त कर रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि में बापी पट्टा व पुराना कब्जा के आधार पर उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(6) उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी ने हीरानाथ गुरू मोतीनाथ से बापी पट्टा प्राप्त करने के पश्चात पूजनार्थ माफी समाप्त कर दिनांक 01.07.1963 को उक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा खालसा की भूमि घोषित कर दी जिससे उक्त भूमि के सभी अधिकार सरकार में निहित हो गये थे हालांकि उक्त भूमि को प्रार्थी के पूर्वज श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत ने खालसा होने से पूर्व ही बापी पट्टा से प्राप्त कर ली थी जिससे उक्त भूमि को श्रीराम पि.गिरधारी कुमावत के नाम पर दर्ज की जानी चाहिये थी जो नहीं कर खालसा करने का आदेश दिनांक 01.07.1963 को कर दिया। उसके पश्चात रोटेशन की जमाबन्दी में खालसा के नोट को भी नजर अन्दाज करते हुये उक्त भूमि पुनः संवत 2022 से 2025 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 4 महादेव जी स्थान देह कृषक के रूप में हीरानाथ गुरू मोतीनाथ अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी से उक्त भूमि बापी पट्टे के रूप में प्राप्त होकर उस पर 57 वर्षों से प्रार्थी के पूर्वजों व प्रार्थी को दे दी। वर्षों से प्रार्थी का नियमित अनवरत रूप से बिना किसी रोक टोक व व्यवधान से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि का नजराना व लगान भी प्रार्थी ही जमा कराता चला आ रहा है। उक्त भूमि बाबत् तहसीलदार आसीन्द द्वारा भी मंदिर व देवस्थान की भूमि मानते हुये एक दावा प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध धारा 183 रा.टि.एक्ट का प्रस्तुत किया जिसको न्यायालय ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वज के कब्जे में थी जिसे उपजाऊ व आबादान हेतु पट्टे पर दी जिसमें विरासतनीय अधिकार थे इसलिये प्रार्थीगण को मालिकाना हक प्राप्त होकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है।

(7) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द की आ.नं.4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469,4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476,4477,4478 ,4479, 4480 कुल किता 18 रकबा 8.33 हैक्टर भूमि के उपयोग उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न तो स्वंय करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

(8) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। जवाब सरकार प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया।

(9) वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में नवीन आराजियात का रकबा टंकण की भूल से गलत दर्ज हो गया है जिसे संशोधित कराना फरमावें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी.स्वीकार किया जाता है।

(10) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के बापी पट्टे पर आबादान हेतु दी हुई है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काबिल काश्त व उपजाऊ बनाई है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता तो निश्चित रूप से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक अधिकार सम्बन्धी तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से तय होना है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण को विरूद्द अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावें।

(11) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है

(12) पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया [illegible] विवादित आराजियात में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थी के प[illegible] प्रार्थी उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध में वाद के अन्तिम रूप से फैसला होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का [illegible] जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि निम्न कृषि भूमि में से प्रार्थी के कब्जा शुदा रकबा 4.51 हैक्टर भूमि में उपयोग –

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न तो स्वंय करें तथा न ही अन्य किसी से करावें। मौके व रेकार्ड यथास्थिति बनाये रखें –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	आ.नं.	रकबा	वि.वि.
आसीन्द	4463	1.41	4472	0.29	प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि कुल रकबा 7.78 हैक्टर भूमि में से 4.51 हैक्टर भूमि स्थगन से प्रभावी
	4464	0.55	4473	0.37	
	4465	0.17	4474	0.62	
	4466	0.55	4475	0.18	
	4467	0.54	4476	0.67	
	4468	0.61	4477	0.04	
	4469	0.32	4478	0.76	
	4470	0.21	4479	0.19	
	4471	0.11	4480	0.19	
कुल किता 18		कुल रकबा 7.78			

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:58 IST
Reason: SelfAttested